# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : .357 / 2014............................................. जिला : जयपुर......
मैसर्स मैसर्स नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, कोटा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 05.05.2014 | **एकलपीठ**<br>**श्री सुनील शर्मा, सदस्य**<br><br>अपीलार्थी की ओर से श्री आर.सी.शाह, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित।<br>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय अधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन– कोटा (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24(6),76(6) एवं 55 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.10.2013 के द्वारा कायम की गयी मांग राशि रू. 1,97,533/–में से 93,217/– की वसूली पर रोक लगते हुए शेष रू. 1,04,316/–पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है।<br><br>उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2014 के अवलोकन से स्प्ष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशि रू. 1,97,533/–में से रू. 1,04,316/–पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। अतः दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत शेष वसूली योग्य राशि रू. 1,04,316/– की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।<br><br>निर्णय सुनाया गया ।<br><br>(सुनील शर्मा)<br>सदस्य | |